दिल्ली जल बोर्ड

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 26 अगस्त, 1998 को सांय 3.00 बजे दिल्ली जल बोर्ड के सभागार वरुणालय फेस द्वितीय, झंड़ेवालान, नई दिल्ली–110 005 में हुई दसवीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित

| | |
|---|---|
| 1. श्री साहिब सिंह, मुख्यमंत्री, दिल्ली | अध्यक्ष |
| 2. श्री राजेन्द्र गुप्ता, सदस्य, दिल्ली विधान सभा | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री बालेश्वर राय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी | सदस्य दि0ज0बोर्ड |
| 4. श्री दीप चन्द बन्धु, सदस्य, दिल्ली विधान सभा | " " |
| 5. श्री गौरी शंकर भारद्वाज, सदस्य, " | " " |
| 6. श्रीमती रोशनी बंसल, सदस्य, दि0न0नि0 | " " |
| 7. श्री छन्नूमल, सदस्य, दिल्ली छावनी | " " |
| 8. श्री जी0सी0 श्रीवास्तव, प्रधान सचिव (वाटर एवंम् पावर) | " " |
| 9. श्री डी0के0 चड्ढा, [illegible] | " " |
| 10. सुश्री जनक जुनेजा, सदस्य (प्रशासन) | " " |

दिल्ली जल बोर्ड की दिनांक 19.8.98 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और हस्ताक्षर किए गए ।

संकल्प संख्या 100

मद संख्या 102

प्रेषण आरोही को रु0 15/– प्रतिमाह की दर से धुलाई भत्ते का भुगतान।

---

निदेशक (प्रशासनिक एवंम् कार्मिक) के पत्र संख्या दि0ज0बोर्ड/प्रशा0/98/35 दिनांक 21.8.98 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् यह संकल्प किया कि प्रेषण आरोही(D/R.D) को रु015/– प्रतिमाह की दर से पूर्व प्रभावी तिथि अर्थात दिनांक 1.12.1988 से धुलाई भत्ता दिये जाने की ऐक्स पोस्ट फेक्टो स्वीकृति दी जाती है ।

संकल्प संख्या 101

मद संख्या 103

मालवीय नगर भूमिगत जलाशय एवं बूस्टर पम्पिंग स्टेशन योजना के अन्र्तगत 150 मि0मी0 व्यास के सी0आई0/पी0एस0सी0/एम0एस0 की मुख्य जल वितरण लाइन को बिछाना और जोड़ना ।

---

मुख्य अभियंता(सी) तृतीय के पत्र क्रमांक दि0ज0बो0/इन्जी0/98/67 दिनांक 21.8.98 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् इस निर्देश के साथ वापस कर दिया कि उन्हीं

निविदाकर्ताओं को 10 दिन की अल्प अवधि की सूचना पर बुला कर दुबारा खुली बातचीत द्वारा कार्य की दर ली जाये और 15 दिन में प्रस्ताव दिल्ली जल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

यह भी संकल्प किया गया कि कार्य में हुई देरी के लिए जिम्मेदारी की जाँच की जाये और जाँच रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाये ।

संकल्प संख्या–102

मद संख्या–104 जहाँगीर पुरी पुनर्वास कालोनी भाग–सी में आन्तरिक सीवर की व्यवस्था करना व बिछाने के कार्य के लिए खर्च के पुनर्निर्धारण की स्वीकृति ।

मुख्य अभियन्ता(सिविल)–द्वितीय के पत्र क्रमाँक इन्जी./98/68 दिनाँक 21.8.98 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् यह संकल्प किया गया कि इस कार्य की रूपये 42,50,893/– की पुनर्निर्धारण प्रशासनिक स्वीकृति दी जाये ।

संकल्प संख्या–103

मद संख्या–105 रामपुरा दिल्ली में 3 मि.गै.प्रतिदिन क्षमता के सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण ।

मुख्य अभियन्ता(सी)–।। के पत्र क्रमाँक : तकनी./98/69 दिनाँक 21.8.98 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् इस निर्देश के साथ वापिस किया गया कि उन्हीं टेण्डररस (निविदाकर्ताओं) के 10 दिन के (लिमिटेड टेण्डर) भीतर बुलाकर के पुनः बातचीत करके कार्य करने के लिए रेट लिये जाये और तत्पश्चात् 15 दिन के भीतर यह प्रस्ताव दिल्ली जल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये । यह भी संकल्प किया गया कि कार्य में हुई देरी की जिम्मेदारी के लिए जाँच की जाये ।

संकल्प संख्या–104

मद संख्या–106 जहाँगीरपुरी पुनर्वास कालोनी में 20 मि.गै.दै. सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण ।

मुख्य अभियन्ता(सी)–।। के पत्र संख्याः तकनी./98/70 दिनाँक 21.8.98 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के बाद इस निर्देश के साथ वापिस कर दिया गया कि उक्त कार्य में भाग लेने वाले उन्हीं टेण्डररस को 10 दिन (लिमिटेड टेण्डर) के भीतर बुलाकर व पुनः बातचीत करके उक्त कार्य करने के लिए रेट लिये जाये और फिर 15 दिन के भीतर दिल्ली जल बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये ।

संकल्प संख्या–105

मद संख्या–107 जहाँगीरपुरी सीवेज पम्पिंग स्टेशन से कोरोनेशन पिलर अवजल शुद्धि संयंत्र तक 600 मि.मी.व्यास की दो सी.आई. राइजिंग मेन का बिछाना एवं जोड़ना :

मुख्य अभियन्ता(सी)–।। के पत्र संख्याः इन्जी./98/71 दिनाँक 21.8.98 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के बाद इस निर्देश के साथ वापिस कर दिया गया कि उन्हीं सीमित(लिमिटेड टेण्डर) निविदादाताओं को 10 दिन के अन्दर बुलाकर व पुनः बातचीत करके उकत कार्य करने के लिए रेट लिये जायें ओर फिर 15 दिन के भीतर दिल्ली जल बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये ।

**संकल्प संख्या–106**

मद संख्या–108 — प्रबलित सीमेंट कंक्रीट चैनल का निर्माण कच्चे सीवेज को पुराने मौजूदा सीवेज शोधन संयंत्र ओखला से 16 एम.जी.डी. सीवेज शोधन संयंत्र ओखला तक ले जाने हेतु ।

मुख्य अभियन्ता(सी)–चतुर्थ के पत्र क्रमाँक तकनीकी/98/72 दिनाँक 21.8.98 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड ने इस निर्देश के साथ वापिस कर दिया कि उन्हीं सीमित (लिमिटेड टेण्डर) निविदादाताओं को 10 दिन के अन्दर बुलाकर व पुनः बातचीत करके उक्त कार्य के लिए रेट लिये जाये और फिर 15 दिन के भीतर दिल्ली जल बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये ।

**संकल्प संख्या–107**

मद संख्या–109 — नाँगलोई सैयद दिल्ली में 40 मि.गै.प्रतिदिन क्षमता के सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण ।

मुख्य अभियन्ता(सी)–।। द्वारा प्रस्तुत पत्र संख्या तक./98/73 दिनाँक 21.8.98 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार करने के पश्चात् इस निर्देश के साथ वापिस कर दिया कि इस कार्य के उन्हीं – – – – – निविदादाताओं (टेण्डररस) को 10 दिन की अल्प अवधि सूचना पर बुलाकर पुनः बातचीत कर के दुबारा कार्य की दर ली जाये और 15 दिन के प्रस्ताव दिल्ली जल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।यह भी संकल्प किया गया कि कार्य में विलम्बता के लिए जिम्मेदारी निश्चित की जाये 1

**संकल्प संख्या–108**

मद संख्या–110 — **श्री एस.बी.सिंघल अधिशासी अभियन्ता(सेवानिवृत्त) के विरूद्ध कार्यवाही ।**

अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी के पत्र क्रमाँक दि.ज.बो./सतर्कता/98/36 दिनाँक 24.8.98 मे दिये गये प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् यह संकल्प किया गया कि श्री एस.बी.सिंघल, अधि.अभियन्ता (सेवानिवृत्त) के विरूद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ करने की, व उनके विरूद्ध व आरोपों के विवरण (संलग्नक) और कदाचार आरोपों के विवरण को स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

यह भी संकल्प किया जाता है कि इस प्रस्ताव और इसके संलग्नक को गोपनीय दस्तावेजों के वर्ग में रखने तथा जब तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा आदेश नही दिया जाता, इसकी प्रतियो को किसी को भी उपलब्ध न कराने की स्वीकृति दी जाती है।

संकल्प सख्या 109

मद संख्या 111 दिल्ली जल बोर्ड में अधिक्षण अभियन्ता (वि.एवं या.) के पद पर स्थानापन्न पदोन्नति ।

निदेशक (प्रशा. एवं का) के पत्र क्रमांक दि. ज.बो./प्रशाIII./98/37 दि. 24.8.98 के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद यह संकल्प किया गया कि श्री रणवीर यादव, अधि. अभि.(वि.एवं.या.) को अधिक्षण अभियतां(वि.एवं.या)के पद पर (वेतनमान रू 12000/–16500) दि. 8.11.96 से नोशनल पदोन्नति स्वीकृत की जाती है साथ ही विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के अनुसार उनका नाम पैनल में श्री सी. पी. चोपड़ा से ऊपर रखने की भी स्वीकृति दी जाती हैं । यह भी संकल्प किया गया कि श्री एम. पी. शर्मा, अधिक्षण अभियन्ता (वि. एवं या) को दिनांक 8.11.96 से ओफिसिएटिंग पदोन्नति के स्थान पर तदर्थ आधार पर माना जायेगा तथा श्री बी.के.सब्बरवाल जो तदर्थ आधार पर अधि. अभि.(वि.एवं या)के पद पर काम कर रहे हैं को अधिशासी अभियंता (वि एवं या) के पद पर तत्काल प्रभाव से प्रत्यावर्तितत किया जाता है ।

संकल्प सख्या 110

मद सांख्या – 112 दिल्ली जल बोर्ड के बागवानी विभाग का पुनर्गठन – उपनिदेशक (बाग) के एक पद का सृजन ।

इस मद पर चर्चा करते हुए कहा गया कि बागवानी विभाग में पिछले वर्षो में किये गये कार्यो की समीक्षा, पदाधिकारियों आदि का नियोजन, विस्तार में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

अन्य मुददे

अतिरिक्त चर्चा करते हुए यह भी निर्देश दिया गया कि पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार निविदाओं को एक ही बैठक में फाइनल किया जाये ।

अध्यक्ष
दिल्ली जलबोर्ड

सचिव